

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर –राज0

पीठासीन अधिकारी : महावीर प्रसाद शर्मा, तहसीलदार

मिसल संख्या : 55/2018

किस्म मुकदमा :

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

1956 की धारा 91

तारीख दर्ज : 30.08.18

निर्णय दिनांक : 12/11/2018

सरकार जरिये पटवारी हल्का

बनाम

सुनिल कुमार दुर्गालाल

कुकनवाली

जाति नाई नि. कुकनवाली

—: उनवान :-

पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थी अनुपस्थित प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कुकनवाली द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सुनिल कुमार पुत्र दुर्गालाल जाति नाई नि. कुकनवाली ने ग्राम कुकनवाली के खसरा नम्बर 661 कुल रकबा 1.37 हैक्टेयर किस्म गै.मु. नदी में से रकबा 0.0168 हैक्टर भूमि पर सम्वत 2075 में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत सुनवाई हेतु नोटीस जारी किये किया गया। नोटिस की प्रति सुनिल ने प्राप्त की।

अप्रार्थी द्वारा जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि जिससे प्रार्थना – पत्र मे उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि हो सके एवं न ही विधिक साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट है कि अप्रार्थी ने जानबूझकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है एवं आदिनांक तक अवैध कब्जा हटाने में विफल रहा है।


अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा ग्राम कुकनवाली के आराजी राज खसरा नम्बर 661 कुल रकबा 1.37 हैक्टेयर किस्म गै.मु. नदी में से रकबा 0.0168 हैक्टर भूमि पर से बेदखल कर भूमि को कब्जा सरकार लेने तथा बतौर अर्थदण्ड स्वरूप अप्रार्थी पर लगान 0.10.5 रु का पच्चास गुणा से राशि रू0/— अक्षरे रूपये जुर्माना आरोपित किया जाता है।


पटवारी हल्का को वसूली हेतु तथा भू अ. निरीक्षक को अप्रार्थी को मौके से बेदखल कर भूमि कब्जा सरकार ले कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु ज़िखा जावे । आरोपित शारित की मांग कायमी तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को करवाइ जावे।

पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 18/11/2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली कायमी ग.ले.स.-4
न.पु.स.सं. 28
वर्ष 2018-19
रा.पु.सं. 03
क.भ.सं. /
गोचर जुमाना /
प्रा.पैदावार /


तराले कुचामन सिटी


(तहसीलदार कुचामन सिटी)
तहसीलदारा कुचामन सिटी
जिला नागौर -राज०